

MSOs GIVEN DEADLINE

Govt has got cracking and has instructed all MSOs to get themselves registered on the Digital India MIB website and furnish information pertaining to the headend, conditional access system (CAS), and set-top box (STB) seeding data.

The deadline was November 25. The ministry has warned the erring MSOs that their inability to furnish the required information will be viewed as a violation of the registration conditions and might lead to proceedings that include termination of the MSO registration.

In its advisory dated May 31, the MIB had sought details regarding headend locations, CAS, Transport Stream/Frequency detail, RF feed details, Platform Service details, CATV Signal distribution areas, STB Seeding details.

The ministry had also informed all the MSOs that monitoring devices are to be installed on the headend of the cable operators under the provision subsection 4 of Section 10A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 for monitoring of output feed. The MSOs had to provide the above-mentioned information to BECIL official/team for the monitoring system.

“It has come to the notice of the Ministry that some of the MSOs are yet to get registered and furnish the information on the portal. Now, therefore, in the exercise of the power granted under Rule 10A of the Cable Television Networks Rules, 1994, all the MSOs are hereby directed to get themselves registered on www.digitalindiamib.com and furnish the requisite information on or before 25.11.2022,” the MIB said.

“In case of failure to furnish the above-requested information within the prescribed time limit, it may be construed that MSO has violated the terms and conditions of Registration granted to them. Further, it may lead to the initiation of proceedings under Section 4(7) of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, and Rule 11(7) of the Cable Television Networks Rules 1994 for the suspension/revocation of the MSO registration,” the MIB added. ■

एमएसओ को समय सीमा मिली

सरकार को सफलता मिली है और उसने सभी एमएसओ को डिजिटल इंडिया एमआईबी वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करने और हेडएंड, कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएसएस) और सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) सीडिंग डेटा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

समय सीमा 25 नवंबर थी। मंत्रालय ने चूकने वाले एमएसओ को चेतावनी दी है कि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में उनकी असमर्थता को पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन के रूप में देखा जायेगा और इससे एमएसओ पंजीकरण समाप्त करने सहित कार्यवाही की जा सकती है।

31 मई की अपनी एडवाइजरी में एमआईबी ने हेडएंड लोकेशन, सीएसएस, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम/फ्रीक्वेंसी विवरण, आरएफ फीड विवरण, प्लेटफॉर्म सेवा विवरण, सीएटीवी सिग्नल वितरण क्षेत्र, एसटीबी सीडिंग विवरण के बारे में जानकारी मांगी थी।

मंत्रालय ने सभी एमएसओ को यह सूचित किया था कि आउटपुट फीड की निगरानी के लिए केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 10ए के प्रावधान उप धारा 4 के तहत केवल ऑपरेटरों के हेडएंड पर निगरानी उपकरण स्थापित किये जाने हैं। एमएसओ को निगरानी प्रणाली के लिए वीडिआईएल के अधिकारियों/टीम को उपरोक्त जानकारी प्रदान करनी थी।

एमआईबी ने बताया कि ‘मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ एमएसओ ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है और पोर्टल पर जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए, अब, केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 10ए के तहत दी गयी

शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एमएसओ को निर्देश दिया जाता है कि वे खुद को www.digitalindiamib.com पर पंजीकृत करवायें और 25.11.2022 को या उससे पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि ‘उपर्युक्त अनुरोधित जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, यह माना जा सकता है कि एमएसओ ने उन्हें दिये गये पंजीकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा यह एमएसओ पंजीकरण के निलंबन/निरसन के लिए केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 4(7) और केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 11(7) के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है।’ ■

